

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1311

जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों को धन का आबंटन

1311. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ठाणे और महाराष्ट्र विशेषकर ठाणे में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उद्योगों को आवंटित धन का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त योजना के तहत उक्त अवधि के दौरान कितनी महिलाओं को ऋण स्वीकृत किया गया है; और
- (ग) सरकार द्वारा योजना के बारे में विज्ञापन, प्रकाशन और जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा सूक्ष्म/लघु कारोबारी ईकाईयों को विनिर्माण, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र तथा कृषि से सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए 10 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण दिया जाता है।

मुद्रा पोर्टल पर एमएलआई द्वारा अपलोड किए गए आँकड़े के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (01.04.2020 से 31.03.2023) में महाराष्ट्र राज्य में पीएमएमवाई के अंतर्गत 87,538 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ 1.32 करोड़ से भी ज्यादा ऋण दिए गए हैं। इनमें से पीएमएमवाई के अंतर्गत ठाणे जिला, महाराष्ट्र में 3,408 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि सहित 3.33 लाख से भी अधिक ऋण दिए गए हैं।

इसके अलावा, विगत तीन वित्तीय वर्षों (1.4.2020 से 31.3.2023 तक) में पूरे देशभर में महिला उद्यमियों को 5.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के 11.59 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। इनमें से महाराष्ट्र राज्य में महिला उद्यमियों को 44,423.54 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ 1.09 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं।

(ग): सरकार ने देशभर में पीएमएमवाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ प्रिंट मीडिया, टेलिविजन, रेडियो जिंगलस, होर्डिंग्स, टाउन हॉल बैठकों, वित्तीय साक्षरता और जागरूकता शिविरों, वित्तीय समावेशन इत्यादि के लिए विशेष अभियान के जरिए प्रचार-प्रसार अभियान शामिल हैं। बैंक अपने शाखाओं और बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) के जरिए भी प्रचार-प्रसार करते हैं।
